न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : दावा/535/2008

1. शैतान पुत्र रामधन
2. कैलाश पुत्र रामधन
3. मदन पुत्र रामधन
4. रामकिशन उर्फ श्रीकृष्णा पुत्र रामधन (मृतक दौराने दावा)

4/1 आशा देवी बेवा रामकिशन उर्फ श्रीकृष्णा

4/2 कनिका आयु 11 वर्ष

4/3 शिवानी आयु 9 वर्ष

4/4 दिव्या आयु 6 वर्ष

4/5 खुशी आयु 6 वर्ष

पुत्रियान रामकिशन उर्फ श्रीकृष्णा सभी अल्पव्यस्क जरिये संरक्षिका माता आशा देवी बेवा रामकिशन उर्फ श्रीकृष्णा

5. बाबूलाल उर्फ रामबाबू पुत्र रामधन (नाबालिग) जरिये वाद मित्र श्रीमती पांची पत्नी रामधन माता स्वयं
6. शंकर पुत्र जवाना
7. हनुमान पुत्र जवाना

समस्त जाति मीणा, निवासीयान् ग्राम टीलावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

– वादीगण–

बनाम

1. विकास भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जरिये प्राधिकृत प्रतिनिधि जगदीश नारायण शर्मा पुत्र रामप्रसाद शर्मा, ग्राम नगरियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. लाखन मीणा पुत्र नामालूम, जाति मीणा, निवासी प्लाट नंबर 5, दूरदर्शन कॉलोनी, गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:23:43 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादीगण–

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक : 18.07.2022

निर्णय –

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि ग्राम टीलावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि जिसका खाता नंबर 79/51 खसरा नंबर 227 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नंबर 278 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 279 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 280 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 283 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 284 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.18 हैक्टेयर के वादी संख्या 1 लगायत 5, 1/3 भाग के, वादी नंबर 6 व 7, 2/3 भाग के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है और इसी प्रकार का इन्द्राज राजस्व जमाबंदी में दर्ज है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई संबंध सरोकार नही है उनका एक मात्र उद्देश्य गरीब काश्तकारों की भूमि पर जबरन कब्जा कर लोगों को बेचान करने का हैं इस तरह प्रतिवादीगण भूमाफिया है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की और येन–केन प्रकारेण वे इस भूमि पर जबरन कब्जा कर वादीगण को बेदखल कर देना चाहते है। इसी क्रम में दिनांक 25.06.2005 को प्रतिवादीगण अन्य असामाजिक तत्वों को साथ लेकर वादग्रस्त भूमि पर आए और उस पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। जब वादीगण ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो उन्होने वादीगण के साथ झगड़ा–फसाद किया। उस दिन तो प्रतिवादीगण अपने आदमियों को साथ लेकर चले गये, परन्तु जाते–जाते धमकी दे गए कि या तो तुम जमीन खली कर हमें सम्भला दो अन्यथा हम इस पर जबरन कब्जा कर तुम्हें बेदखल करेगें। उक्त घटना के बाद दिनांक 08.07.2005 को सांयकाल 5 बजे पुनः प्रतिवादीगण मौके पर आए और वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करने की कोशिश की, जब वादीगण ने पुनः फिर ऐसा करने से मना किया तो वे वादीगण के साथ पुनः झगडा–फसाद करने पर उतारू हो गए। वादीगण इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना, सांगानेर सदर में लिखाने गए तो थाने वालो ने भी वादीगण को यह कहकर धमका कर भेज दिया कि जाकर अदालत में कार्यकाही करो। करो। दिनांक 25.06.2005 और 08.07.2005 की घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि किसी न किसी तरीके से प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि से वादीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा कर लेना चाहते हैं जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर प्रतिवादीगण अपने इस गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गए तो वादीगण को न केवल असहनीय क्षति होगी बल्कि वे अपने कानूनी हित व अधिकारों से भी वंचित हो जाएगें और उनके परिवार का गुजर बसर ही समाप्त हो जाएगा तथा उन्हें बिना वजह गैर जरूरी मुकदमेबाजी में फंसना पड़ जाएगा। बिनाये मुखात्मत दावा प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 25.05.2005 व दिनांक 08.07.2005 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:23:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करने के कारण उत्पन्न हुई और वाद बिनाये दावा से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे ग्राम टीलावाला, तहसील सांगानेर स्थित भूमि खसरा नंबर 277, 278, 279, 280, 283, 284 से जबरन वादीगण को बेदखल नहीं करे न ही उस पर किसी प्रकार का जबरन कब्जा करे और वादीगण के कब्जे व काश्त तथा उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न अन्य से करावें। एवं किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी पेश की जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर जवाब उपरांत बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की परिधी में नही होने से खारिज किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जवाब दावे हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा पेश नही करने पर जवाब दावे का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वकील वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्लयू–1 शंकर पुत्र श्री जवाना, पीडब्ल्यू–2 हनुमान पुत्र श्री जवाना, पीडब्ल्यू–3 मदन पुत्र श्री रामधन पेश किया जो शामिल पत्रावली है। वकील प्रतिवादीगण को जिरह हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जिरह नही करने पर जिरह का अवसर बंद किया गया। वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश नही किये जाने के कारण साक्ष्य का अवसर भी बंद किया जाकर प्रतिवादी वास्ते बहस वादपत्र नियत की गई।

बहस वादपत्र पर वकील वादी एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता को बहस हेतु अवसर देने के उपरांत भी बहस नही करने पर बहस का अवसर बंद किया गया। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद में अंकन की प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध सरोकार नही है। प्रतिवादीगण, वादीगण की भूमि पर आये और जबरन कब्जा व निर्माण करने की कोशिश की। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना वादीगण के लिए आवश्यक हो गया। वकील वादी द्वारा [illegible]री के समय प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत् 2054–2057 खाता संख्या नया [illegible] पुराना 51 के खसरा नंबर 136, 137, 140, 141, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 283, 284 कुल किता 12 कुल रकबा 2.1900 हैक्टेयर वाके ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर के अवलोकन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:23:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

जाहिर है कि वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार–काश्तकार वादीगण है। वादीगण द्वारा दस्तावेजात सूची के साथ प्रस्तुत दस्तावेज खसरा गिरदावरी वादग्रस्त आराजीयात सम्वत् 2058–61 व 2062–2065 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त है। तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्रों से जाहिर है कि प्रतिवादीगण, वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा व निर्माण करने पर आमादा है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 277, 278, 279, 280, 283, 284 वाकै ग्राम टीलावाला पटवार क्षैत्र जगतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में जबरन वादीगण को बेदखल नहीं करे न ही उक्त आराजीयात पर किसी प्रकार का जबरन कब्जा करे और वादीगण के कब्जे व काश्त तथा उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न अन्य से करावें। एवं किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें। इस आशय की डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:23:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर ब इजलास
श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

शैतान व अन्य

बनाम

विकास भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड व अन्य.

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/535/2008

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 277, 278, 279, 280, 283, 284 वाकै ग्राम टीलावाला पटवार क्षैत्र जगतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में जबरन वादीगण को बेदखल नहीं करे न ही उक्त आराजी पर किसी प्रकार का जबरन कब्जा करे और वादीगण के कब्जे व काश्त तथा उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न अन्य से करावें। एवं किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत् .....

खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.07.2022 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

दस्तखत .....
सहायक कलक्टर
ओहदा ...जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान		00			

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:23:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner